संख्या:–904(1)/XIV–1/11–5(43)/2010

प्रेषक,

मंजुल कुमार जोशी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निबन्धक,
सहकारी समितियॉ,
उत्तराखण्ड।

सहकारिता, गन्ना एवं चीनी अनुभाग:–1 देहरादून दिनॉक 06,जून, 2011

विषय:– चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में स्पेशल कम्पोनेट प्लान के अन्तर्गत महिला बचत समूह गठित करने एवं प्रशिक्षण के लिये अनुदान (राज्य सेक्टर) की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या:–89/नियो0/महिला बचत समूह/2011–12 दिनांक 5 अप्रैल, 2011 एवं वित्त विभाग के आदेश संख्या:–209/XXVII (1)/2011 दिनांक 31 मार्च, 2011 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में राज्य योजना स्पेशल कम्पोनेट प्लान के अन्तर्गत अनुसूचित जाति की महिला समूहों को लाभान्वित किये जाने हेतु महिला बचत समूह गठित करने एवं प्रशिक्षण के लिये अनुदान योजना (राज्य सेक्टर) के लिये **₹ 10,00,000/–(रूपये दस लाख मात्र)** की धनराशि श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) स्वीकृत धनराशि के आहरण की सूचना से महालेखाकार (लेखा) कार्यालय उत्तराखण्ड को शासनादेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम व बाउचर संख्या लेखाशीर्षक तथा आहरण की तिथि सहित सूचित करने का उत्तरदायित्व निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड का होगा।

(2) धनराशि व्यय करने से पूर्व वर्तमान में लागू नियमों का अनुपालन सुनिश्चित् किया जाय एवं महिला समूहों की सूची भी शासन एवं समाज कल्याण विभाग को एक माह के अन्तर्गत उपलब्ध कराया जाय।

(3) बजट मैनुअल में निर्धारित प्रकिया के अधीन कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर अकिंत बजट की सीमा में प्रतिमाह 5 तारीख तक प्रपत्र बी0एम0–5 पर आहरण एवं वितरण अधिकारी ठीक पूर्व माह की सूचना विभागाध्यक्ष को तथा प्रपत्र बी0एम0 13 पर 20 तारीख से पूर्व विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना वित्त विभाग एवं शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाय तथा बजट मैनुअल के विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम् से भेजी जाने वाली सूचना समय से भेजा जाना सुनिश्चित किया जाय।

(4) स्वीकृत धनराशि निर्धारित मद में व्यय की जायेगी एवं व्यय करते समय वित्त विभाग के आदेश दिनांक 31 मार्च, 2011 व मितव्ययता के सम्बन्ध में समय समय पर जारी शासनादेशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(5) उक्त वित्तीय स्वीकृति के व्यय के अनुश्रवण की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी और यदि किसी मामलें में सीमाधिक व्यय दृष्टिंगोचर हो तो उसे तत्काल वित्त विभाग एवं शासन के संज्ञान में लाया जाय।

(6) उक्त वित्तीय स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि उक्त धनराशि केवल इसी योजना के अन्तर्गत स्वीकृत मद पर ही व्यय की जायेगी।

(7) स्वीकृत धनराशि का उपयोग निश्चित रूप से उन्ही मदों पर व्यय किया जाय जिसके लिये स्वीकृति दी जा रही है। यदि उसका उपयोग अन्यत्र अथवा किसी अन्य मद में किया जाता है, तो सम्बन्धित अधिकारी इसके लिये व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे तथा उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करते हुये अप्राधिकृत व्यय की वसूली की जायेगी।

(8) उक्त व्यय शासन के वर्तमान सुसंगत आदेशों/निर्देशों के अनुसार किया जायेगा तथा यह सुनिश्चित किया जाय की उक्त धनराशि को किसी ऐसे कार्य/मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिये वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के अन्तर्गत शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति अपेक्षित हो। वित्तीय हस्त पुस्तिका में उल्लिखित सुसंगत नियमों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

(9) आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा अपने स्तर से फॉट किया जाय।

2- उक्त स्वीकृति के अधीन चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के अनुदान संख्या–30 के अर्न्तगत लेखाशीर्षक 2425–सहकारिता आयोजनागत 107–केडिट सहकारी समितियों को सहायता–02– अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्पोनेंट प्लान–0202–महिला बचत समूह गठित करने एवं प्रशिक्षण के लिये अनुदान–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता के नामें डाला जायेगा।

ये आदेश वित्त विभाग के आदेश संख्याः–209/XXVII (1)/2011 दिनांक 31 मार्च, 2011 के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(मंजुल कुमार जोशी)
अपर सचिव।

संख्याः– ३००(1)/XIV–1/2011, तद्दिनांक

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
2. वित्त अनुभाग–4/समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ/नियोजन विभाग,उत्तराखण्ड शासन।
3. मण्डलायुक्त, कुमाऊँ एवं गढ़वाल।
4. अपर निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोड़ा।
6. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड, राज्य सहकारी बैंक लि0, उत्तराखण्ड।
7. समस्त जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड द्वारा निबन्धक।
8. समस्त सचिव/महाप्रबन्धक, जिला सहकारी बैंक लि0, उत्तराखण्ड द्वारा निबन्धक।
9. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय।
10. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
11. प्रभारी मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(वीरेन्द्र पाल सिंह)
उपसचिव।